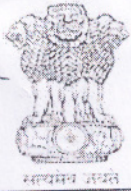


C. Malik

25.05.2024

1/71884/2024

FP/JH/TRANS/120412/2021



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हर्मु चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: FP/JH/TRANS/120412/2021/293

दिनांक: 09.05.2024

सेवा में,

प्रमुख/अति० मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड सरकार,

नेपाल हाउस, राँची - 834002.

विषय : Diversion of 10.106 ha. of forest land in favour of Damodar Valley Corporation for construction of 132 KV D/C Hazaribagh (Sindhur) Substation of DVC to TSS of East Central Railway, Dhanbad Transmission Line under Hazaribagh West Forest Division in Hazaribagh district of Jharkhand.

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक श्रीमान के पत्र संख्या वन भूमि-17/2023-1215/व०प० राँची, दिनांक 03.04.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव को दिनांक 29.04.2024 को आयोजित क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की 70 वीं बैठक में चर्चा हेतु रखा गया था। उक्त बैठक में चर्चापरांत समिति ने प्रस्ताव को defer करते हुए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी को राज्य सरकार से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

- i. The committee demanded a comprehensive Wildlife Management Plan for the proposal for further consideration.
- ii. REC pointed out that since felling of trees (Sl. No.14) and Raising of Electric Towers (Sl. No.16) are the Regulatory activities in the Eco Sensitive Zone (ESZ) notification order dated August 01, 2019 of Govt. of India, hence it desired a copy of the Zonal Master Plan from State Govt. if made any. Further, the committee emphasized that User Agency should follow the provisions made in the Master Plan, if prepared. Therefore an undertaking from user agency to the effect may be submitted.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों/जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रतर करवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहित किया जाय।

विधासभाजन
Signed by Shashi Shankar
Pathak

Date: 13-05-2024 10:55:54

(शशि शंकर)

उप महानिरीक्षक वन

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह - नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।

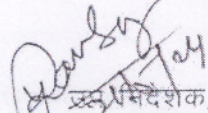
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

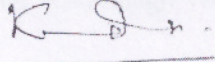
वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

ज्ञापांक 477

दिनांक 21/5/2024

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी/वरीय प्रमंडलीय अभियंता (TSC)-IV दाओघाओनिह हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का पूर्ण एवं बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


प्रधान मुख्य निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


21.5.24



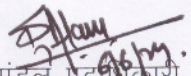
कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

ज्ञापांक: 3348

दिनांक: 06/6/24

प्रतिलिपि अधिक्षण अभियंता (वि०), टी०एस०सी-IV, दामोदर घाटी निगम बड़का सयाल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा की गई पृच्छित बिन्दुओं का पूर्ण निराकरण प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

OK